URANIUM CORPORATION OF INDIA LIMITED
(A Government of India Enterprise)
PO : Jaduguda Mines, Distt. : Singhbhum (East), Jharkhand – 832102.
(CIN : U 12000 JH 1967 GOI 000806)

No. UCIL/GM (I/P&IRs/CP)/01 08 सितम्बर 2023

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 07.09.2023 को हिंदी दैनिक समाचार पत्र "न्यू इस्पात मेल, हिंदुस्तान और दैनिक जागरण" में प्रकाशित समाचारों के आलोक में, यह सभी संबंधित लोगों के संज्ञान में लाया जाता है कि वर्ष 1960-66 के दौरान लगभग 300 एकड़ भूमि तत्कालीन परमाणु खनिज प्रभाग (एएमडी) द्वारा जादुगुड़ा में अन्वेषणात्मक यूरेनियम खनन करने के लिए, प्रचलित मुआवजे के भुगतान पर अधिग्रहण किया गया था, लेकिन उपरोक्त अधिग्रहण के एवज में रोजगार प्रदान करने की किसी प्रकार का लिखित अंगीकार नहीं था। हालाँकि, उन दिनों, जब अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता बहुत थी, भूमिगत खदानों में रोजगार लेने के इच्छुक हर किसी को नौकरी दी गई थी।

जब 1967 में यूसीआईएल का गठन हुआ, तो उपरोक्त भूमि एएमडी द्वारा यूसीआईएल को हस्तांतरित कर दी गई। इसके बाद, अपने परिचालन को और विस्तारित करने के लिए, यूसीआईएल ने झारखंड और आंध्र प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भूमि का अधिग्रहण किया और अपनी लागू नीति के अनुसार विस्थापितों के सभी पात्र नामांकित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया।

हालाँकि, पिछले लगभग 20 वर्षों से, साल 1960 से 1966 के दौरान एएमडी द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले यूसीआईएल में नियमित रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न स्रोतों से लगातार मांग की जा रही है, जिसके लिए एएमडी या यूसीआईएल की ओर से कोई प्रतिबद्धता नहीं है। इस मामले को भूमि विस्थापित समूह द्वारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय (डब्ल्यूपीएस नंबर 6124 ऑफ 2010) के समक्ष भी दायर किया गया था, जहां माननीय न्यायालय ने स्पष्ट फैसला दिया है कि **"यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का विस्थापित व्यक्तियों के रोजगार पर विचार करने के लिए कोई दायित्व नहीं है और उन व्यक्तियों के रोजगार पर विचार करने की कोई गुंजाइश नहीं है जिनकी भूमि वर्ष 1964-65 में परमाणु खनिज प्रभाग द्वारा अधिग्रहित की गई थी।"**

उपरोक्त तथ्यों के बावजूद, यूसीआईएल अपनी आर एण्ड आर नीति के प्रावधानों के अनुसार, यूसीआईएल ने उन भूमि विस्थापितों को भी रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की, जिनके लिए यूसीआईएल का कोई दायित्व नहीं है और 12 रिक्तियां निकालीं। इन रिक्तियों के मुकाबले, भूमि की मात्रा के अनुसार घटते क्रम में 30 उम्मीदवारों की एक सूची तैयार की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से भूमि के एक विशिष्ट टुकड़े के खिलाफ कई उम्मीदवार थे और यूसीआईएल कोई निर्णय नहीं ले सका। यूसीआईएल ने दिनांक 25.07.2023 के नोटिस के माध्यम से सभी विस्थापितों से एक आम सहमति सूची प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जो अभी भी प्रतीक्षित है।

यदि यूसीआईएल को आम सहमति वाले उम्मीदवारों की सूची सौंपी जाती है तो यूसीआईएल प्रबंधन वास्तविक मामलों पर विचार करने के लिए अभी भी तैयार है। अन्यथा, आर एण्ड आर पॉलिसी-2001 के पैरा 4.1.1 के अनुसार, सभी नामांकित व्यक्तियों का फिजिकल ट्रेड टेस्ट आयोजित किया जाएगा और सफल उम्मीदवारों का चयन पहली अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की प्रतीक्षा अवधि के बाद किया जाएगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित पक्षों से एक बार फिर अनुरोध किया जाता है कि वे सर्वसम्मति वाले उम्मीदवारों की एक सूची प्रस्तुत करें और समुचित विधि व्यवस्था बनाए रखने में यूसीआईएल प्रबंधन के साथ सहयोग करें।